

जारी किया गया नया राशनकार्ड (APL/BPL/AAY)
शास. उचित मूल्य दुकान क्रमांक

प्रपत्र-अ (2)

नगरीय क्षेत्र के एपीएल को छोड़कर शेष राशनकार्ड हेतु घोषणा सह आवेदन-पत्र

प्रति,
कलेक्टर
जिला
मध्यप्रदेश।

एक फोटो चस्पा
एवं दो फोटो
संलग्न किए जाएं।

1. मैं (परिवार के मुखिया का नाम)
पुत्र/पत्नी जाति का हूं।
2. वर्तमान पता गली नं.
मोहल्ला वार्ड नं.
3. गरीबी की रेखा की सूची में उसका ग्राम /वार्ड क्रमांक में सरल क्रमांक है।
4. व्यवसाय/नौकरी पद
5. कार्य स्थल/कार्यालय का पता
6. मेरे परिवार के सदस्य श्री के नाम
कंपनी का एजेंसी का गैस कनेक्शन उपभोक्ता क्रमांक है/नहीं
है। जिस पर सिंगल/डबल गैस सिलेंडर जारी हैं। (एक से अधिक कनेक्शन होने की भी जानकारी दी जाए)।
7. परिवार के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक (1)	सदस्य का नाम (2)	आयु (3)	मुखिया से रिश्ता (4)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

मैं, यह घोषणा करता हूँ कि कंडिका 7 में मेरे द्वारा परिवार के सदस्यों का विवरण दिया गया है उनमें से किसी भी सदस्य का नाम न तो पृथक् से राशनकार्ड है तथा न ही उनमें से किसी का नाम मध्यप्रदेश के किसी भी जिले के राशनकार्ड में दर्ज है। मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि इस घोषणा-पत्र में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा मैंने कोई भी जानकारी नहीं छिपाई है। मुझे ज्ञात है कि यदि स्थल निरीक्षण या अन्य जांच के दौरान मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं भारतीय संविधान तथा अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दंड का भागी हूँगा। जिसके तहत 7 वर्ष तक का कारावास तथा अर्थदंड दोनों की सजा दी जा सकती है।

स्थल
दिनांक

हस्ताक्षर (मुखिया)
नाम

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

उपरोक्त दी गई जानकारी को सर्वे सूची से/सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि की गई एवं सही पाये जाने पर राशनकार्ड जारी किया गया।

राशनकार्ड जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
जारी करने का दिनांक